राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री चेतन देवड़ा आई.ए.एस)

प्रकरण सं. 04 / 2019

दायर दिनांक:–08.05.2019
फैसल दिनांक:–11.09.2019

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर (राज0)

प्रार्थी.....

बनाम

श्री कमलेश पिता श्री केशव कलाल, रमेश पिता खातु, कचरा पिता रामजी मीणा, जीवा पिता रणछोड, देवीलाल पिता कमजी निवासी बरोठी, तहसील बिछीवाडा व जिला डूंगरपुर (राज0)

अप्रार्थीगण....

उपस्थितिः– 1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

– : निर्णय : –

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर की ओर से विरूद्ध विपक्षीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षीगण द्वारा अपनी दुकानो / ठिकानो पर अवैध रूप से कुल 3270 लीटर डीजल एवं एक टेंकर मय डीजल (18 के.एस.) को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भण्डारण किये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A (2) के तहत राजसात करने हेतु पेश किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर द्वारा दिनांक 05.04.2019 को ग्राम बरोठी में डीजल की अवैध रूप से खरीद फरोक्त की सूचना दिये जाने पर पुलिस उप अधीक्षक बिछीवाडा से वार्ता कर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 पर स्थित ग्राम बरोठी में विपक्षीगण की दुकानों / ठिकानो की मौका जांच की गई। मौका जांच में विपक्षी कमलेश पुत्र केशवलाल कलाल निवासी बरोठी की दुकान के अंदर ग्राउण्ड रूम में 3 ड्रम पुरे 200–200 लीटर डीजल के व 1 आधा ड्रम मात्र 100 लीटर डीजल इस प्रकार कुल 700 लीटर डीजल अवैध रूप से भण्डारित किया जाना पाया गया। विपक्षी श्री रमेश पिता खातु की निजी दुकान एवं मकान में 9 ड्रमों में 1800 लीटर व 1 खुला ड्रम में 150 लीटर कुल 1950 लीटर डीजल पाया गया। विपक्षी श्री कचरा पिता रामजी के परिसर में 100 लीटर (एक ड्रम) डीजल पाया गया। विपक्षी श्री जीवा पिता रणछोड के यहां 200 लीटर (एक ड्रम) डीजल पाया गया। इसी प्रकार श्री देवीलाल पुत्र कमजी के यहां एक ड्रम में 200 डीजल पाया गया तथा एक टेंकर GJ12AU 8717 मय 18 के.एल. डीजल (इन्डियन ऑल कार्पोरेशन लिमी.) का दिनांक 04.04.2019 को रवाना होकर दिनांक 05.04.2019 को संदिग्ध रूप से अवैध संग्रहित डीजल वितरण स्थल ग्राम बरोठी में विपक्षी श्री कमलेश पिता केशवलाल कलाल की दुकान के

Scanned by CamScanner

बाहर खडा हुआ पाया गया। इस प्रकार कुल 3270 लीटर डीजल का अवैध व्यवसाय करने के उद्देश्य से भण्डारित करना पाया गया। विपक्षीगण द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ डीजल की खरीद एवं जांच के दौरान अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नही करने तथा अवैध रूप से संग्रहित डीजल का स्वयं के उपयोग के लिये संग्रहण करने वक्त जांच किसी प्रकार का विधिमान्य साक्ष्य एवं सन्तोषप्रद जवाब पेश नही किया गया। विपक्षीगण द्वारा उक्त अवैध रूप से भण्डारित 3270 लीटर डीजल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व पेट्रोलियम प्रोडक्ट (मेन्टीनेन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज व सप्लाई) आर्डर 1999 के मेन क्लोज 9(C) मोटर स्प्रीट और हाईस्पीट डीजल (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्युशन एण्ड प्रिवेंशन ऑफ मेलप्रेक्टिस आर्डर 2005 के मेनक्लोज 2 (F) V, VII, p, r एवं राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेंसिग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1990 का मेन क्लोज 3(1) की शर्ता का उल्लघन पाया जाने से 3270 लीटर डीजल व टेंकर GJ12AU 8717 (मय 18 के.एल. डीजल) के जप्त सरकार कर पुलिस थाना बिछीवाडा को सुपुर्द किया गया तथा विपक्षीगण के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। प्रार्थी द्वारा उक्त जप्त शुदा 3270 लीटर डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A (1) के तहत राजसात करने तथा टेंकर GJ12AU 8717 (मय 18 के.एल. डीजल) को धारा 6A (2) के तहत अन्तिम निस्तारण करने का अनुरोध किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी श्री जीवा पिता रणछोड एवं श्री कचरा पिता रामजी मीणा ने उपस्थित होकर स्वयं ने जवाब प्रस्तुत किया जो संलग्न पत्रावली है। विपक्षी श्री कमलेश पिता केशवलाल, रमेश पिता खातु, देवीलाल पिता कमजी निवासीयान बरोठी बावजूद सूचना के हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध दिनांक 17.07.2019 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये है।

विभागीय पेरोकार की एक तरफा बहस समायत की गई। विभागीय पेरोकार ने बहस मे कथन किया कि विपक्षी श्री कमलेश पुत्र केशवलाल कलाल निवासी बरोठी के यहां कुल 4 ड्रम में 700 लीटर डिजल, विपक्षी श्री रमेश पुत्र खातु के यहां कुल 10 ड्रमो में 1950 लीटर डीजल, श्री कचरा पुत्र रामजी के यहां 1 ड्रम में 100 लीटर डीजल, श्री जीवा पुत्र रणछोड के यहां 2 ड्रमों में 320 लीटर डीजल, श्री देवीलाल पुत्र कमजी के यहां 1 ड्रम में 200 लीटर डीजल इस प्रकार कुल 3270 लीटर डीजल उक्त विपक्षीगण द्वारा व्यवसाय हेतु अवैध रूप से भण्डारित करना पाया गया। जब्त शुदा 3270 लीटर डीजल की उक्त विपक्षीगण द्वारा खरीद करने अनुज्ञा पत्र नही होने तथा स्वयं के उपयोग हेतु संग्रहण करने के संदर्भ में किसी प्रकार के साक्ष्य एवं सन्तोषप्रद जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। विपक्षीगण के यहां टेंकर GJ12AU 8717 (मय 18 के.एल.) अवैध रूप से डीजल का व्यवसाय करने हेतु संदिग्ध रूप से पाया गया। विपक्षीगण का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व पेट्रोलियम प्रोडक्ट (मेन्टीनेन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज व सप्लाई) आर्डर 1999 के मेन क्लोज 9(C) मोटर स्प्रीट और

Scanned by CamScanner

हाईस्पीट डीजल (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्युशन एण्ड प्रिवेंशन ऑफ मेलप्रेक्टिस आर्डर 2005 के मेनक्लोज 2 (F) V, VII, p, r एवं राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेंसिग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1990 का मेन क्लोज 3(1) की शर्ता का उल्लघने की श्रेणी में आता है। जिससे विपक्षीगण के यहां कुल 3270 लीटर डीजल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A(1) के तहत एवं टेंकर GJ12AU 8717 (मय 18 के.एल.) को धारा 6A(2) के तहत राजसात करने हेतु विभागीय पेरोकार ने प्रार्थना की गई।

हमारे द्वारा विभागीय पेरोकार की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं विपक्षी श्री जीवा पुत्र रणछोण एवं कचरा पुत्र रामजी मीणा निवासी बरोठी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया गया।

बहस विभागीय पेरोकार एवं पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त विपक्षीगणों के यहां से 18 ड्रमों में कुल 3270 लीटर डीजल अवैध रूप से भण्डारित करना पाया गया। विपक्षी श्री कमलेश पुत्र केशवलाल कलाल, श्री रमेश पुत्र खातु, देवीलाल पिता कमजी निवासी बरोठी बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से नही होने से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी द्वारा जप्त किया गया कुल 18 ड्रमों में 3270 लीटर डीजल को जप्त सरकार करने के लगाये गये आरोप के संबंध में प्रतिरक्षण नहीं करने से स्वीकार हैं। लिहाजा डीजल का अवैध रूप से व्यवसाय किया जाना प्रमाणित है। विपक्षी श्री कचरा पिता रामजी मीणा एवं जीवा पिता रणछोड निवासी बरोठी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उन्होने बताया है कि उन्हे झुठा फसाया गया है। उनके यहां से जप्त शुदा कुल 420 लीटर डीजल से कोई वास्ता नहीं है तथा न ही उक्त दोनो विपक्षी श्री कचरा एवं श्री जीवा के यहां से जप्त किया गया डीजल के निस्तारण करने में कोई आपत्ती नही होना बताया गया है। इससे स्वष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व पेट्रोलियम प्रोडक्ट (मेन्टीनेन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज व सप्लाई) आर्डर 1999 के मेन क्लोज 9(C) मोटर स्प्रीट और हाईस्पीट डीजल (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्युशन एण्ड प्रिवेंशन ऑफ मेलप्रेक्टिस आर्डर 2005 के मेनक्लोज 2 (F) V, VII, p, r एवं राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेंसिग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1990 का मेन क्लोज 3(1) की शर्ता का उल्लघन करना पाया जाता है। उक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षीगण के यहां 18 ड्रमों में कुल 3270 लीटर जप्त शुदा डीजल को राजसात करना उचित होगा। जप्त शुदा टेंकर GJ12AU 8717 (मय 18 के.एल.) का निस्तारण इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 3/2019 निर्णय दिनांक 16.04.2019 द्वारा निस्तारण कर दिया जाने ओर पृथक से विवेचन किया जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण श्री कमलेश पिता श्री केशव कलाल, रमेश पिता खातु, कचरा पिता रामजी मीणा, जीवा पिता रणछोड, देवीलाल पिता कमजी निवासी बरोठी, तहसील बिछीवाडा व जिला डूंगरपुर (राज0) के यहां 18 ड्रमों में कुल 3270 लीटर डीजल को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर उक्त 18 ड्रमों

Scanned by CamScanner

में कुल 3270 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ डीजल को अधिकृत डीलर को निर्धारित दर पर विक्रय कर प्राप्त राशि को अमानत के रूप में जिला रसद के राजकोष में रखी जावें। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner